न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या – अपील नं0 2019/00174 (174/2019 ) 223 आरटीएक्ट

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोहनलाल जाति जाट निवासी वार्ड न0. 4, धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
2. गोपीराम पुत्र श्री सोहनलाल जाति जाट निवासी वार्ड न0. 4, धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0) – अपीलान्ट

**बनाम**

1. कुलजीतकौर पत्नि श्री गरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी जोडकियां तह. हनुमानगढ
2. दलवीर सिंह पुत्र श्री बलतेज सिंह जाति जटसिख निवासी जोडकियां तह. हनुमानगढ
3. दलील पुत्र ईशर सिंह जाति जाट निवासी धौलीपाल तह0 हनुमानगढ
4. सन्तोष सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति जाट निवासी धौलीपाल तह0 हनुमानगढ
5. निरंजन सिंह पुत्र रूड सिंह जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील हनुमानगढ
6. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनमानगढ
7. ओरियन्टल बैंक ऑफ कार्म्स, शाखा हनुमानगढ जं0 जरिये शाखा प्रबन्धक
8. सी बी आई बैंक शाखा हनुमानगढ जं0 जरिये शाखा प्रबन्धक ........ रेस्पोडैन्ट

अपील विरूद्व निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनाक 9.10.2017 द्वारा सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, हनुमानगढ प्र.सं. 231/2015 बअनवानी कुलजीतकौर आदि बनाम दलीप सिंह आदि

श्री राजेश दीपराय अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री विनोदकुमार पारीक अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता

**निर्णय** दिनांक – 08.06.2020

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडैन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2/वादीगण व अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ता 5 के नाम से चक 15 एम0एम0के0 तहसील हनुमानगढ के खाता संख्या 58/62 पत्थर न0. 115/205 (46) किला न0. 23, 24, 25 व पत्थर न0. 115/206 (59) किला न0. 3 से 8 कुल 2.277 हैक्टेयर कृषि भूमि मय गैर मुमकिन राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इस कृषि भूमि में से 2.024 हैक्टेयर कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2/वादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की हुई है तथा तभी से चक 15 एम0एम0के0 के प0न0. 115/205 (46) किला न0. 23, 24, 25 व पत्थर न0. 115/206 (59) किला न0. 3, 4, 6 से 8 कुल 2.024 हैक्टेयर कृषि भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का कब्जा है। यह भूमि सयुंक्त खाता में दर्ज होने के कारण सहखातेदारान के मध्य सीवं, बट, रकम राज व लगान आदि को लेकर विवाद रहता है। रेस्पोडैन्ट

संख्या 1 व 2 ने 2.024 हैक्टयर भूमि का खातेदार होने की घोषणा के साथ साथ वाद में वर्णितानुसार खाता अलग कायम किये जाने का अनुतोष चाहा।

2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व रेस्पोडैन्ट संख्या 3 से 8 को तलब किया गया व दिनांक 2.2.2016 को अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया व वाद–पत्र वादीगण/रेस्पोडैन्ट संख्या 1 व 2 आंशिक स्वीकार किया जाकर दिनांक 9.10.2017 को वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किये जाने के आदेश दिये गये। अधिनस्थ न्याालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व प्राथमिक डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई है। तत्पश्चात उभय पक्ष अपीलांट व रेस्पोडैन्टस ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होकर दिनांक 18.03.2020 को राजीनामा प्रस्तुत किया व मुताबिक राजीनामा प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया, बाद जांच राजीनामा तस्दीक फरमाया गया।

3. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किये कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत होने के बाद अपीलांट व रेस्पोडैन्टस के मध्य राजीनामा हो चुका है जो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो चुका है व माननीय न्यायालय द्वारा पूर्ण जांच के बाद राजीनामा तस्दीक किया जा चुका है। मुताबिक राजीनामा प्रकरण का निस्तारण फरमाया जावे। विद्वाव अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट ने भी मुताबिक राजीनामा प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया।

5. पत्रावली व पत्रावली पर प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडैन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया था कि चक 15 एम एम के की कुल 2.277 हैक्टयर भूमि में से उनके द्वारा जरिये विक्रय पत्र 2.024 हैक्टयर अर्थात 8 बीघा भूमि खरीद की गई है व कब्जा की भूमि का विवरण अंकित करते हुए खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया था। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 18.03.2020 में प्रश्नगत् 2.277 हैक्टयर भूमि में से 2.024 हैक्टयर भूमि रेस्पोडैन्ट संख्या 1 व 2 की खरीद किया जाना अपीलांट स्वीकार करते हैं। रेस्पोडैन्ट संख्या 1 व 2 ने अपने वाद–पत्र में चक 15 एम एम के के प0नं0 116 / 206 किला नं0 1, 10, 11 की भूमि को शामिल नही किया गया है जो भी मुश्तरका खाता की भूमि है व इस मुश्तरका खाता की भूमि को शामिल करते हुए कुल भूमि में से चक 15 एम0एम0के0 के प0न0. 115 / 205 (46) किला न0. 23, 24, 25 व पत्थर न0. 115 / 206 (59) किला न0. 3 से 8 व प0नं0 116 / 206(60) किला नं0 1, 10, 11 कुल 3.036 हैक्टेयर कृषि भूमि में अपीलांट संख्या 1 कुल .253 हैक्टयर, अपीलांट संख्या 2 कुल .759 हैक्टयर व रेस्पोडैन्ट संख्या 1 कुल 1.012 व रेस्पोडैन्ट संख्या 2 कुल 1.012 हैक्टयर भूमि खातेदार होना भी स्वीकार करते हैं। चूंकि पक्षकारान में मध्य राजीनामा हो चुका है व पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नही रहा है तथा उभय पक्ष द्वारा भी मुताबिक राजीनामा प्रकरण का निस्तारण किये जाने में सहमति प्रकट की है, ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री में मुताबिक राजीनामा विधि अनुसार संशोधन किये जाने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाने उचित समझते हैं कि वह राजीनामा के

तथ्यों की जांच करें तथ्या राजीनामा विधि सम्मत होने पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

7. अतः अपील अपीलांट मुताबिक राजीनामा आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.10.2017 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह राजीनामा के तथ्यों की जांच करें तथा राजीनामा विधि सम्मत होने पर विधि अनुसार निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2020 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 08.06.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(आशाराम डूडी आर..ए.एस)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.06.08 11:41:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: